कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी) की बैठक सं० 14/2000 दिनांक 22-1-2000 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सायं 4·00 बजे सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

1- श्री के·पी· सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक(वित्त) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री पी· अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम·पी·)जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री नीरज तिवाड़ी, उप नगर नियोजक, बीपीसी-II, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री वी·के· जैन, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री हरी प्रसाद, सहायक नगर नियोजक, बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।
6- श्री वासुदेव शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) बीपीसी-II(सीपीसी) की बैठक सं० 13/2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पुष्टि की गई ।

(2) विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

2·1- एजेण्डा सं० 14/2000-1 :- नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मुक्तानन्द नगर के भूखण्ड सं० 235 के संबंध में(जोन बी-1) :

44

2·2- एजेण्डा सं० 14/2000-2 :- मास्टर विकास योजना 2011, जयपुर क्षेत्र में आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग उपान्तरण बाबत प्रकरण श्री सुरेन्द्र व्यास, भूखण्ड सं० 16 (पार्ट) डिग्गी हाउस परिसर, जयपुर :-

प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया जावे।

2·3- एजेण्डा सं० 14/2000-3 :- त्रिमूर्ति कालोनाईजर्स एण्ड बिल्डर्स लि० के निजी विकासकर्ता के पंजीयन बाबत :-

प्रकरण पर विचार-विमर्श कर स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। अगली बैठक में प्रार्थी को बुलाया जाये।

2·4- एजेण्डा सं० 14/2000-4 :- नवजीवन गृह निर्माण सह० समिति की योजना दादाबाड़ी (जोन बी- 3) :-

पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में खसरा नं० 127, 128 व 137 में आने वाले भूखण्ड अनुमोदित नहीं किये गये थे। जोन बी-3 के प्राधिकृत अधिकारी ने समिति को बताया कि 1982 में इन खसरा नंबरों के लिए रूपान्तरण शुल्क जमा नहीं होने के कारण इन खसरा नंबरों में आने वाले भूखण्डों का अनुमोदन नहीं किया गया था चूंकि अब राज्य सरकार के आदेशों के अनुसरण में सभी भूखण्डों के लिए रूपान्तरण शुल्क जमा करवाया जा रहा है अत: इन खसरा नंबरों में प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों को अनुमोदित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया। प्राधिकृत अधिकारी जोन बी-3 ने यह भी बताया कि खसरा नं० 127 व 128 में धारा 90 बी की कार्यवाही अभी की जानी है जो अब कर ली जाये।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपी)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: एफ-11(14)जविप्रा/वनि/सीपी/14/2000/डी-35
दिनांक : 24-1-2000

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।

6- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2 एवं डी, जविप्रा, जयपुर ।

7- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
जविप्रा,जयपुर ।

क्रमांक:एफ-11(14)जविप्रा/वनि/सीपी/14/2000/डी- 35
दिनांक : 24-1-2000